राजस्थान सरकार

स्मरण पत्र – द्वितीय

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :–राजप / डीपीसी / अचल.स.वि / 2017 / 610 दिनांक : 23.6.17

उप महानिरीक्षक, आर.ए.सी., राजस्थान।
समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजस्थान।
समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
समस्त अधीक्षक संलग्न,चिकित्सालय संघ राजस्थान।
समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें–जोन।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,राजस्थान।
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,राजस्थान।
समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
समस्त प्रभारी अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान

विषयः– राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत नहीं करने पर की गई कार्यवाही बाबत।

संदर्भः– निदेशालय का पत्रांक 874 दिनांक 22.08.2016, 339 दिनांक 28.03.2017 एवं 537 दिनांक 30.05.2017

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि शासन सचिव, कार्मिक (क–1 / गो0प्र0) विभाग द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त राजपत्रित अधिकारी अपनी अचल सम्पत्ति विवरण सीधे ही अपने नियुक्ति प्राधिकारी / विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगें, तथा जो राजपत्रित अधिकारी अपना अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत नही करेगें, उनकी विजीलैन्स क्लीयरेन्स नहीं दिये जाने, पदोन्नति पर विचार नहीं किये जाने एंव अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही आगामी वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है।

अतः जिन चिकित्सकों द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण वर्ष 2015 (01.01.2016) एवं वर्ष 2016 (01.01.2017) की स्थिति में प्रस्तुत नहीं किये गये है। उनके विरूद्ध आप द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार 7 दिवस में प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था जिसके संबंध में आज दिनांक तक आप द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत नहीं करवाया गया है। अतः उक्त सूचना अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करावें:–

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम व पदनाम	जन्मतिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	की गई कार्यवाही का विवरण
1				

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर

क्रमांक :–राजप / डीपीसी / अचल.सं.वि / 2017 / 610 दिनांक : 23.6.17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक (क–1 / गो0प्र0) विभाग राजस्थान जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1 / गो.प्र.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक (पक / ई.एस.आई. / एड्स / मोबाईल सर्जिकल यूनिट), चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की वैबसाईट पर अप–लोड किये जाने एवं समस्त संबंधित को ई–मेल द्वारा भिजवाये जाने हेतु प्रेषित है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर